टी बोर्ड
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700001

दिनांक 01.07.2026

कार्यालय ज्ञापन सं.73/2026

अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी का यह निर्णय सूचित करने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के उ पू आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी से संबद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री सुवेंदु दास को दिए जा रहे अतिरिक्त मकान किराया भत्ता का लाभ तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए।

श्री सुवेंदु दास द्वारा अपनी तैनाती की पिछली जगह पर परिवार के सदस्यों के रहने के बारे में दिए गए घोषणा-पत्र के आधार पर, कार्यालय ज्ञापन सं. 65/2026 दिनांक 16.06.2026 के तहत अतिरिक्त-एचआरए का लाभ दिया गया था।

इस मामले की फिर से जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त-एचआरए को जारी रखना उचित नहीं है। तदनुसार, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत दिया गया अतिरिक्त मकान किराया भत्ता का लाभ तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन सं. 65/2026 दिनांक 16.06.2026 के तहत श्री सुवेंदु दास को किए गए अतिरिक्त-एचआरए के किसी भी भुगतान को, जो नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, लागू नियमों के तहत वसूल किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1.	श्री सुवेंदु दास,स प्र अ	कृपया जानकारी के लिए।
2.	कार्यकारी निदेशक, उ पू अ का, गुवाहाटी	कृपया जानकारी के लिए।
3.	लेखा अधिकारी, मुख्यालय, कोलकाता	कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।
4.	उपाध्यक्ष,वि स एवं मु ले अ एवं सचिव के निजी सहायक	
5.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
6.	टीबीईए	
7.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

Ref. File No.5(2)/Estt/89/Part-I संदर्भ.फा. सं. 5(2)/स्था/89/भाग-I